5/3/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं0 31 तहसीलदार शिवगंज को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब पेश नहीं करने व फॉर्मल पक्षकार होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर इनका जवाब बंद किया जाता है। समस्त अप्रार्थीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने से प्रार्थी अधिवक्ता ने एक तरफा बहस की, जिसे सुना गया।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की एक तरफा बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में बनना प्रतीत होने से उक्त विवादित आराजी **मौजा वेरावीलपुर, पटवार हल्का पालडी एम, तहसील शिवगंज के खसरा नं० 11/2, 12, 13 रकबा कमशः 0.9065, 3.0675, 0.0567 कुल किता 3 कुल रकबा 4.0307 हैक्टयर** भूमि को बेचान, हस्तक्षेप एवं बेदखल करने से रोकने हेतु अप्रार्थीगणों, उसके वारीसान अन्य व्यक्तियों एवं उनके एजेन्टों को वादग्रस्त भूमि की मौके एव रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु **अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण** तक जारी की जाती है तथा अप्रार्थीगण एंव उसके एंजेन्टो को आदेश की पालना हेतु पाबन्द किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक कोर्ट/2025/129 दिनांक 05.03.2025

प्रतिलिपिः—
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:01:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)